रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 7, 2001/माघ 18, 1922

No. 35] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 7, 2001/MAGHA 18, 1922

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT. OF INDIA

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबंद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत की अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2001

विषयः चीन जनवादी गणराज्य मूल के अथवा वहां से निर्यातित फासफोरिक एसिड (तकनीकी ग्रेड) के आयात के संबद्ध में पाटनरोधी जांच शुरू करना।

सं. 11/1/2001-डी जी ए डी.—मै. गुजरात एल्कलीज एंड कैमिकल लि., बड़ौदा और मै. बिल्ट कैमिकल्स लि., सिकंदराबाद ने सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनपर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा सग्रहण एवं क्षति निर्धारित), नियम,1995 के नियम 5(1)के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य से फासफोरिक एसिड (तकनीकी ग्रेड) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए याचिका दायर की है ।

2. **घरेलू उद्योगः**

यह याचिका घरेलू उद्योग की ओर से मै. गुजरात एल्कलीज एंड कैमिकल्स लि., बड़ौदा तथा मै. बिल्ट कैमिकल्स लि., सिकंदराबाद द्वारा दायर की गई है । याचिकाकर्त्ता देश में फासफोरिक एसिड (तकनीकी ग्रेड) के एकमात्र उत्पादक हैं और उपर्युक्त नियमों के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने की हैसियत रखते हैं ।

3. **शामिल उत्पादः**

इसमें शामिल उत्पाद फासफोरिक एसिड (तकनीकी ग्रेड)" है जो "इन आर्गेनिक कैमिकल्स के संबंध में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची 1 के अध्याय 28 के अंतर्गत आता है । सीमाशुल्क उपशीर्ष 2809.20 का संबंध फासफोरिक एसिड से है परन्तु इसमें फासफोरिक एसिड के सभी ग्रेड शामिल है । तथापि फासफोरिक एसिड का केवल तकनीकी ग्रेड ही मौजूदा जांच की विषय वस्तु है । फासफोरिक एसिड की शुद्धता कर स्तर 85 प्रतिशत या अधिक है जिसका प्रयोग सोडियम फासफेट, कैल्सियम फासफेट, मैगनीशियम फासफेट, अमोनियम फास्फेट आदि के उत्पादन के लिए किया जाता है । यद्यपि फासफोरिक एसिड का उत्पादन विभिन्न ग्रेडों में किया जाता है लेकिन केवल तकनीकी ग्रेड ही इस याचिका की विषयवस्तु है । फासफोरिक एसिड के अन्य ग्रेड जिनकी शुद्धता का स्तर निम्न है, मौजूदा जांच की विषय वस्तु नहीं हैं । इसके अतिरिक्त सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के क्षेत्र में बाध्य कर नहीं है ।

4. **संबंधित देश**

याचिकाकर्त्ताओं ने विचाराधीन उत्पाद के चीन जनवादी गणराज्य (जिसे इसके बाद संबंध देश कहा गया है) से पाटन का साक्ष्य प्रस्तुत किया है तथा इस देश के विरूद्ध जांच शुरू करने का अनुरोध किया है ।

5 **समान वस्तु**

याचिकाकर्त्ताओं ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित माल संबंध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित माल की समान वस्तु है । अतः जांच के प्रयोजन के लिए याचिकाकर्त्ताओं द्वारा उत्पादित माल को नियमों के अर्थ के भीतर संबंध देश से आयातित फासफोरिक एसिड (तकनीकी ग्रेड) (जिसे इसके बाद संबंध वस्तु कहा जाएगा) के समान वस्तु माना जा रहा है ।

6. सामान्य मूल्य

याचिकाकर्त्ताओं ने सम्बद्ध वस्तु की परिकलित उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है । सम्बद्ध देश में सम्बद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य के बारे में निर्दिष्ट प्राधिकारी को पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं ।

7. **निर्यात कीमतः** निर्यात कीमत का दावा कस्टम्स डेली लिस्ट पर आधारित गौण स्रोतों से एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर किया गया है । निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए उतराई प्रभारों, समुद्री भाड़ा समुद्री बीमा कमीशन, पत्तन हैंडलिग आदि के लिए कीमत समायोजनों का दावा किया गया है । सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत तथा दावा किऐ गए समायोजनों के पर्याप्त साक्ष्य हैं ।

8. **पाटन मार्जिनः** इस बात के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि सम्बद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि सम्बद्ध देश से निर्यातकों द्वारा सम्बद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है ।

9. **क्षति एवं कारणात्मक संबंधः** कम कीमत पर सम्बद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री काफी कम रही है और उचित बिक्री कीमतों से बहुत ही कम रही जिसके फलस्वरुप सम्बद्ध वस्तुओं की बिक्री से हानि हुई । इसके अतिरिक्त आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के कारण घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में कमी आई है जिससे बाजार में घरेलू उद्योग के हिस्से में भी कमी आई है । निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष प्रथम दृष्टया इस बात के पयाप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि घरेलू उद्योग को सम्बद्ध देश से सम्बद्ध वस्तुओं के आयातों से वास्तविक क्षति हुई है ।

10. **पाटनरोधी जांच शुरु करनाः** उपरोक्त पैराग्राफों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी सम्बद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और उसके प्रभाव की पाटनरोधी जांच शुरु करते हैं ।

11. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 अप्रैल, 2000 से 31 दिसम्बर, 2000 (9 माह) की है ।

12. **सूचना प्रस्तुत करना:** संबंधित समझे जाने वाले निर्यातकों और आयातकों तथा घरेलू उद्योग को अलग से लिखा जा रहा है ताकि वे निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से संगत सूचना दायर कर सकें । वर्तमान जांच में शामिल होने की इच्छुक कोई अन्य पार्टी निम्नलिखित को सूचना प्रस्तुत कर सकती है ।

निर्दिष्ट प्राधिकारी
(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
उद्योग भवन
नई दिल्ली-110011

13. **समय सीमा:** वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रुप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुंच जानी चाहिए । यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त हुई सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी उपरोक्त नियमों के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है ।

14. **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण** नियम 6(7) के अनुसार, कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है । जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं ।

15. यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समयावधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यो के आधार पर निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकता है ।

एल. वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Anti Dumping and Allied Duties)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2001

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning import of Phosphoric Acid (Technical grade) originating in or exported from People's Republic of China.

No. 11/1/2001-DGAD.— M/s. Gujarat Alkalies & Chemicals Limited, Baroda and M/s. Bilt Chemicals Limited, Secundrabad, have filed a petition for initiation of anti dumping investigation concerning the import of Phosphoric Acid (Technical grade) from the People's Republic of China in accordance with Rule 5(1) of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995.

2. **Domestic Industry**: The petition has been filed by M/s. Gujarat Alkalies & Chemicals Limited, Baroda and M/s. Bilt Chemicals Limited, Secundrabad on behalf of the domestic industry. The petitioners are the only domestic producers of Phosphoric Acid (Technical grade) in the country and therefore have a standing to file the petition on behalf of domestic industry under the Rules above said.

3. **Product Under Consideration**: The product involved is "Phosphoric Acid (Technical grade)" falling under Chapter 28 of Schedule I of Custom Tariff Act relating to 'inorganic chemicals'. Custom sub-heading 2809.20 relates to Phosphoric Acid but includes all grades of Phosphoric Acid. However, it is only the technical grade of Phosphoric Acid which is the subject matter of the present investigation. The technical grade of Phosphoric Acid has a purity level of 85% or above and is used for the

production of sodium phosphate, calcium phosphate, magnesium phosphate, ammonium phosphate, etc. Though Phosphoric Acid is produced in various grades, however, it is only the technical grade which is the subject matter of this petition. Other grades of Phosphoric Acid which have lower purity level are not the subject matter of present investigation. Further, the custom classification is only indicative and not binding on the scope of present investigation.

4. **Country involved**: The petitioners have provided evidence of dumping of the product under consideration from PR China (hereinafter referred to as subject country) and have requested for initiation of investigation against this country.

5. **Like Article**: The petitioners have claimed that the goods produced by them are 'like article' to the goods originating in or exported from the subject country. Therefore, for the purpose of investigation, the goods produced by the petitioners are being treated as 'like articles' of Phosphoric Acid (Technical grade) (hereinafter referred to as subject goods) imported from the subject country within the meaning of the Rules.

6. **Normal Value**: The petitioner has claimed normal value based on the constructed cost of production of the subject goods. Sufficient evidence has been presented to the Designated Authority with regard to the normal value of subject goods in subject country.

7. **Export Price**: The export price has been claimed on the basis of the data compiled from secondary sources based on Customs Daily Lists. Price adjustments have been claimed on account of landing charges, ocean

freight, marine insurance, commission, port handling etc., to arrive at net export price. There is sufficient evidence of export price and the adjustments claimed for the subject goods from subject country.

8. **Dumping Margin**: There is sufficient *prima facie* evidence that the normal value of the subject goods in the subject country is significantly higher than the net export price indicating prima facie that the subject goods are being dumped by the exporters from the subject country.

9. **Injury and Causal Link**: Because of the dumped imports at low prices of the subject goods the sales realisation to the domestic industry has been quite low and significantly below the fair selling prices resulting in losses on the sale of subject goods. Further, there has been a fall in the capacity utilisation of the domestic industry owing to increased volume of imports reducing the share of domestic industry in the market. There is sufficient *prima facie* evidence before the Designated Authority that the domestic industry has suffered material injury caused by dumped imports of subject goods from subject country.

10. **Initiation of Anti Dumping Investigation**: The Designated Authority, in view of the foregoing paragraphs, initiates anti dumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country.

11. The period of investigation for the purpose of present investigations is 1st April 2000 to 31st December 2000 (9 months).

12. **Submission of Information**: The exporters and importers known to be concerned and domestic industry are being informed separately to enable

them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other party interested to participate in the present investigation may write to:

The Designated Authority
(Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties)
Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Udyog Bhavan
New Delhi-110011

13. **Time Limit:** All information relating to this investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of publication of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules *supra.*

14. **Inspection of Public File**: In terms of Rule 6 (7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

15. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.